1. श्रम एवं रोजगार सांख्यिकीय पद्धति (एलईएसएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
58.55	1. सर्वेक्षण आंकड़ों का समय से एकत्र एवं जारी करना	1.1 2019-20 में स्वीकृत सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण / 36 सूचकांक / 5 रिपोर्टे[1]	1. जनता को रोजगार, बेरोजगारी, वेतन, आय तथा उत्पादकता से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराना।	1.1 वेबसाइट पर विशिष्ट विजिटर्स की संख्या	18 लाख
		1.2 पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण*/ 36 सूचकांक / 5 रिपोर्टे# का पूरा होना		1.2 रिपोर्टों के लिए प्राप्त रोजगार आंकड़े प्राप्त करने के	30

[1] ***3 सर्वेक्षण*** *= एसईएसडीएसएल +सीएल +एएफएस.* ***36 सूचकांक*** *= 12 सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक + 12 सीपीआई-एएल/आरएल सूचकांक + 12 खुदरा मूल्य सूचकांक.* ***5 रिपोर्टें*** *= एसईएसडीएसएल +सीएल +एएफएस+ वार्षिक रिपोर्ट सीपीआई-आईडब्ल्यू (2019) + वार्षिक रिपोर्ट सीपीआई-एएल/आरएल (2018-19).*

** सर्वेक्षण के पूरा होने के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं। सामान्यत: वर्ष अंत तक पूर्ण।*

 # रिपोर्ट का पूरा होना सर्वेक्षण के पूरे होने पर आश्रित है।

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
					लिए अनुरोधों की संख्या	
		1.3 समय पर पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण*/ 36 सूचकांक / 5 रिपोर्ट# का समय पर पूरा होना		1.3 इकाई स्तर के लिए प्राप्त रोजगार आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोधों की संख्या	25[2]
	2. क्षमता निर्माण	2.1 कुल अधिकारियों में से सर्वेक्षणों के प्रशासन हेतु आईटी टूल्स के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम ब्यूरों के अधिकारियों की संख्या	450 व्यक्ति	2. कार्यालय कार्य में आईटी टूल्स के प्रयोग को बढ़ावा देना.	2.1 आईटी टूल्स का प्रयोग करके किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	सीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार अद्यतन) के लिए ऑनलाइन मूल्य संग्रहण में आईटी टूल्स का प्रयोग
		2.2 श्रम ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की	800 व्यक्ति[3]			

[2] *ईयूएस एवं पीएमएमवाई के इकाई स्तरीय आंकड़े।* .

[3] ***800 व्यक्ति*** *= 100 (सीपीआई-आईडब्ल्यू वर्तमान श्रृंखला + आईएलएस/प्रशिक्षण) + 120 (सीपीआई-आईडब्लयू 2016=100 का आधार अद्धयतन) + 500 (एएफएस) + 80 (एएल/आरएल का आधार अद्धयतन)*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
		संख्या (प्रोबेशनर्स सहित)				
	3. ज्ञान सृजन	3.1 जारी प्रकाशनों की संख्या	27 प्रकाशन [4]			
		3.2 प्रकाशनों को डाउनलोड करने की संख्या	48,000			

[4] ***32** प्रकाशन = ग्रामीण भारत में वेतन दरें (2018-19) + एएसआई (2016-17) + एलएस ((एमडब्लयू (2018) + 10 श्रम अधिनियम (2017)) + श्रम सांख्यिकी की पॉकेट बुक 2018 + भारतीय श्रम वर्ष बुक 2018 + आईएलजे (12 मासिक प्रकाशन)। श्रम ब्यूरों की अधिकतर रिपोर्टें/प्रकाशन वार्षिक आधार पर मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं और इसलिए उनको जारी करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात मार्च, 2020 है।*

2. श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन हेतु तंत्र, मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
22	श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना	कुल प्राप्त विवादों में से निपटाए गए औद्योगिक विवादों की संख्या	8478	श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन	कुल निरीक्षित प्रतिष्ठानों में से अनुपालन नहीं करते पाए गए प्रतिष्ठानों की संख्या	लगभग 35522
		श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रतिष्ठानों के निरीक्षणों की संख्या	35522			
		1.1. कुल दावा मामलों में से निपटाए गए दावा मामलों कीं संख्या	6059		12 माह से पुराने लंबित दावा मामलों का वर्ष के अंत में कुल लंबित दावा मामलों का प्रतिशत	लगभग 18.30
		1.2. कुल प्रशिक्षित कार्मिकों में से प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	139			

3. कारखानों, पत्तनों और गोदियों (सीएस) में डीजीफासली संगठन और ओएसएच का सशक्तिकरण और विकास

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
11.00	**संघटक I** **कारखानों, पत्तनों और गोदियों में डीजीफासली और ओएसएच का सशक्तिकरण**					
	1. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण आरंभ करना	1.1. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण	सीएलआई, मुंबई में IKC के निर्माण के लिए अनुबंध देने के चरण तक समापन।	1. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण आरंभ करना	1.2. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण	4
	2. ओएसएच के क्षेत्र में डीजीयूवी जर्मनी और अन्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग	2.1. दर्शन शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया	1	2. कारखानों, पत्तन और गोदियों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना	2.1 कारखानों, पत्तन और गोदियों में कामगारों की दुर्घटनाओं की संख्या	0

					2.2. कामगारों की घातक दुर्घटनाओं की संख्या	0
	3. ओएसएच पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना	2.2. सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं	4	3. विभिन्न उद्योग खंडों से ओएसएच संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ पद्धतियों का साझाकरण	3.1. भागीदारी करने वाले संगठनों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू)	4
	4. प्रमाणन प्रणाली के अधीन सुरक्षा लेखा-परीक्षकों का प्रशिक्षण	3.1. प्रशिक्षित सुरक्षा लेखा-परीक्षक	100			
	5. पत्तनों में निरीक्षण	4.1. निरीक्षण किए गए पोतों/भण्डारघरों/घाटों/बर्थों/अधिष्ठापनों/साज-सामग्रियों की संख्या	1600	4. पत्तनों में ओएसएच में सुधार	4.1 जारी किए गए सुधार के नोटिसों/चेतावनियों की संख्या/अभियोजन की संख्या	28
	संघटक II **क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास**					

	1. प्रयोगशालाओं की स्थापना	1.1. स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या	2	1. एमएसएमई और रासायनिक प्रक्रिया उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वासास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का विकास करना।	1.1.सेवा प्राप्त करने वाले एमएसएमई के एककों की संख्या	20
	2. अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	2.1. ओएसएच के क्षेत्र में विशेष कौशलों वाले प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	4		1.2. प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	4
	3. अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखा -परीक्षाएं	3.1. कराए गए सर्वेक्षणों की संख्या	8		1.3. प्रशिक्षित मालिक/प्रबंधकों की संख्या	40
		3.2 शामिल उद्योगों की संख्या	24		1.4. एमएसएमई एककों में दुर्घटनाओं की संख्या	0

	4. अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या	4.1 अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या	200	2. प्रशिक्षित पर्यवेक्षक, प्रबंधक और कामगार	2.1 ओएसएच के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित 200 कामगार/पर्यवेक्षक/प्रबंधक	200
	5. एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PDIS) के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.1. एक वर्षीय डिप्लोमा लेने वाले लोगों की संख्या	60	3. प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	3.1 प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की संख्या	45
	6. एमएसएमई प्रबंधकों और मालिकों के लिए प्रशिक्षण	6.1. प्रशिक्षित प्रबंधकों और मालिकों की संख्या	24			
	7. संयंत्र के भीतर प्रशिक्षण	7.1. संयंत्र के भीतर कराए गए प्रशिक्षणों की संख्या	4			
	8. आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं	आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की संख्या	4			

		8.2. सेमिनार/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या	200			
	9. ओएसएच पर फिल्म	9.1. ओएसएच पर फिल्म का विमोचन	2	4. ओएसएच का प्रचार	4.1. ओएसएच पर बनी फिल्म को देखने वाले लोगों की संख्या	300 लोग
	10. एएफआईएच पाठ्यक्रम	10.1. एएफआईएच पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों की संख्या	60	5. प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता	5.1. प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या	60
	11. जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षी कार्मिकों के लिए पांच सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	11.1. पांच सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम करने वाले लोगों की संख्या	80	6. जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की उपलब्धता	6.1. जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की संख्या	80
	संघटक III **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए शिलोंग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना**					

	1.आरएलआई, शिलोंग के भवन का निर्माण आरंभ	1.1. कें.लो.नि.वि. द्वारा भवन के निर्माण की शुरुआत (हां/नहीं)	आरएलआई, शिलोंग के निर्माण का ठेका देने के चरण तक समापन	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना	1.1.पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में दुर्घटनाओं की संख्या	0
				2. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या	2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या	0
				3. प्रशिक्षित पर्यवेक्षक, प्रबंधक और कामगार	3.1 200 कामगारों/पर्यवेक्षकों / प्रबंधकों को ओएसएच के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।	200

4. **वर्ष 2019-2020 के लिए डीजीएमएस की प्रणाली एवं अवसंरचना का सशक्तिकरण** (SSID) (**पूर्व में खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डेटाबेस का आधुनिकीकरण तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय की अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूल कार्यों का सशक्तिकरण**)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**उत्पाद 2019-20**			**परिणाम 2019-20**		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
13	1. खान सुरक्षा के संबंध में ज्ञान सृजन	1.1 तैयार किए गए दुर्घटना विश्लेषण के संबंध में रिपोर्ट की संख्या	80	1. खानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए जोखिम और खतरा मुक्त कार्य स्थिति और कल्याण प्राप्त करना	1.1 खान सूचना डेटाबेस का परिचालन करना (हां/नहीं)	हां
		1.2 सतर्कता संकेत (अलर्ट) और परिपत्र की संख्या (सभी घातक दुर्घटना विश्लेषण, आदि के आधार पर) जारी किए गए	25		1.2 घातक दुर्घटनाओं की संख्या	0
		1.3 कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस सहित आधुनिक खदान दुर्घटनाओं और खदान सूचना डेटाबेस और उसके लिए अवसंरचना विकसित करना	एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास करना		1.3 गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	0
		1.4 राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन को उजागर करके निरीक्षण / सुरक्षा लेखा-परीक्षा,	20 अधिकारी		1.4 खान में दुर्घटनाओं की कुल संख्या	0

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		दुर्घटना जांच आदि पर डीजीएमएस अधिकारियों का प्रशिक्षण।				
		1.5 प्रकशित रिपोर्टों की संख्या	3		1.5 निरीक्षण किए गए खानों की संख्या (संख्या)	7460
		1.6 महानिदेशक के तकनीकी अनुदेशों और परिपत्रों की संख्या और तकनीकी और अन्य मामलों पर नए अनुदेशों और परिपत्रों के मुद्दों की समीक्षा की गई।	10		1.6 खान अधिनियम 1952 के गंभीर गैर-अनुपालन के लिए जारी किए गए नोटिस और आदेश की संख्या	0
		1.7 श्रमसुविधा पोर्टल के विभिन्न विकास पर कार्यशालाओं और सेमिनारों की संख्या, विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का उपयोग, दुर्घटना की जांच, वार्षिक रिटर्न,	6		1.7 किए गए कुल सर्वेक्षणों की संख्या में से सिलिकोसिस (एनआईएमएच सर्वेक्षण) से ग्रसित कामगारों का प्रतिशत	शून्य

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		जीईएम के माध्यम से अधिप्राप्ति आदि।				
		1.8. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) का आयोजन (हां /नहीं)	हां		1.8 खदान में कार्यरत प्रति एक हजार व्यक्ति पर दुर्घटना की दर (गंभीर और घातक दुर्घटना दोनों के लिए)	0.22 (कोयला) .32 (गैर-कोयला) से कम
		1.9. आयोजित सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी की सुविधा पर प्रशिक्षण की संख्या	24		1.9 दशकीय औसत की तुलना में गंभीर दुर्घटना की संख्या में बदलाव का प्रतिशत	दशकीय औसत की तुलना में < 3% का बदलाव
		1.10. राज्य सरकारों की सहायता से छोटी खानों में सुरक्षा जागरूकता पर आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	24		1.10घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु की संख्या में दशकीय औसत की तुलना में % परिवर्तन	दशकीय औसत में < 3% परिवर्तन

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		1.11. डीजीएमएस अधिकारियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सेमीनारों, सम्मेलनों आदि में भेज कर प्रशिक्षण/सेमीनारों आदि के माध्यम से ओएचएस एवं तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण	40 अधिकारी			
		1.12 खानों की संख्या और छोड़ी गई खान योजनाओं का किया गया डिजीटाइजेशन	500			
		1.13 उपयुक्त मानकों, प्रोटोकॉल्स तथा जारी किए गए दिशानिर्देशों को प्रदान करके खान औद्योकों का समर्थन करने के लिए खनन के प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर 24 खानों में वैज्ञानिक अध्ययनों की संख्या	24			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		1.14 खानों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर जारी किए गए परिपत्र/दिशानिर्देश/मानक/ प्रोटोकॉल्स	8			
		1.15 दिशानिर्देशों/मानकों/प्रोटोकॉल्स, नई प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मामलों के विकास पर और अन्य विषयों पर आयोजित कार्यशालाओं और सेमीनारों की संख्या	2			
		1.16 कम्प्यूटर आधारित सांविधिक परीक्षाओं की संख्या	4			
		1.17एमएसएचए द्वारा प्रशिक्षित मध्य स्तर के प्रबंधन अधिकारियों, कामगार निरीक्षकों, कामगारों तथा अन्य की संख्या	100			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		1.18कुल खानों में से श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए निरीक्षित खानों की संख्या	निरंतर प्रक्रिया			

5. श्रम कल्याण स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
237	1.बीड़ी/एलएसडीएम/अभ्रक/आईओएमसी/सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करना।	1.1 शिक्षा: बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या	4 लाख[5]	1.बीड़ी/एलएसडीएम/अभ्रक/आईओएमसी/सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करना।	1.1 शिक्षा: बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या	श्रमिकों के शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि से उन्हें एक स्थिर करियर बनाने का बेहतर अवसर प्रदान किया जा सकता है।
		1.2 आवास: आवास सहायता उपलब्ध कराने के लिए पात्र	51000 कामगार		1.2 आवास: कुल कामगारों में से पात्र लाभार्थियों के	कामगारों और उनके परिवारों की रहन-सहन

[5] *प्राप्त आवेदनों पर निर्भर करता है, लक्ष्य अस्थायी हैं।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
		लाभार्थियों (बीड़ी/एलएसडीएम/अभ्रक/ आईओएमसी/सिने कामगार) को दूसरी और तीसरी किस्त की निर्मुक्ति			लिए संस्वीकृत आवासों की संख्या	की दशाओं में सुधार
		1.3 स्वास्थ्य: कुल कामगारों में से स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या।	16 लाख कामगार और उनके परिवार[6]		1.3 स्वास्थ्य: कुल कामगारों में से स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या।	बीड़ी/एलएसडीएम और आईओएमसी कामगारों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं।

[6] *Ibid 5*

6. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मंच तैयार करना और आधार-संबद्ध पहचान संख्या (सीएस) का आवंटन

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
1.00	1. असंगठित कामगारों को एक पहचान पत्र प्रदान करना	1.1 आईटी प्लेटफॉर्म का संचालन (हाँ/नहीं)	हाँ	1. विशिष्ट, आधार-संबद्ध पहचान-पत्र वाले असंगठित कामगारों के एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस का संचालन	1.1 विशिष्ट, आधार संबद्ध पहचान-पत्र (हां/नहीं) वाले असंगठित कामगारों के एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस का संचालन	हाँ
		1.2 विशिष्ट, आधार संबद्ध पहचान-पत्र वाले असंगठित कामगारों की संख्या	2 करोड़*			

* *यूडब्ल्यूआईएन परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसमे एनआईसी श्रम और रोजगार मंत्रालय को संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा।*

7. असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**2019-20**	**आउटपुट**	**संकेतक(कों)**	**2019-20**
523.50	1. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और बीपीएल से सीमांत रूप से ऊपर के लोगों को बीमा लाभ प्रदान करना	1.1. इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या।	6.00 करोड़	1. असुरक्षित आबादी को सामाजिक सुरक्षा।	1.1. मृत्यु के कारण योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या।	100 %
		1.2. कुल दावों का प्रतिशत जिसे निपटाया गया था।	100 %		1.3. अशक्तता के कारण योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या।	100%
	2. लाभ के प्रावधानों में सामर्थ्य	2.1. प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के माध्यम से निपटाए गए दावों का प्रतिशत।	50%	2. अल्पावधि में निपटाए गए दावें	2.1. इस योजना के तहत दावों को निपटाने के लिए औसत दिनों की आवश्यकता है	07
		2.2. एलआईसी द्वारा अपने स्तर पर निपटाए	100%			

		गए शिकायतों का प्रतिशत।				

नोट: चालू वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदान की गई धनराशि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तो लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

8. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
4500.00	1. पेंशन के प्रावधान	1.1. लाभार्थी सदस्य पेंशनरों की संख्या	123729			
		1.2. निःशक्तजन	39			
		1.3. विधवा/ विधुर	48873			
		1.4. माता-पिता	1453			
		1.5. नामांकित	53			
		1.6. बाल	29389			
		1.7. अनाथ	699			
		1.8. जीवन प्रमाण-पत्र आधारित डिजिटल आधार के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान किए गए जीवन प्रमाण-पत्र का प्रतिशत।	75%			

9. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
19.90	1. मृतक सदस्यों के परिवार को दिया गया पारिवारिक पेंशन योजना का प्रावधान	1.1 लाभार्धियों की कुल संख्या	90000	1. परिवार पेंशन दावों का समय पर संवितरण	1.1 कुल संवितरण का समय पर वितरण का %	90000
	2. सेवा में रहते हुए मरने वाले मृत सदस्यों के परिवार को जमा बद्ध बीमा योजना का प्रावधान	2.1 लाभार्थियों की कुल संख्या	1860	2. जमा बद्ध बीमा दावों का समय पर संवितरण	2.1 कुल संवितरण का समय पर वितरण का %	1860

10. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
100.00	1. बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना	1.1. बाल श्रम से हटाए गए और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला लेने वाले 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या ।	विशेष प्रशिक्षण में 50000 कामकाजी बच्चों के नए नामांकन प्राप्त करना ।	1. सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन।	1.1. बाल श्रम में बच्चों की अनुमानित संख्या।	(i) विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में 50000 कामकाजी बच्चों के नए नामांकन प्राप्त करना ।
		1.2. उन बच्चों की संख्या जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में एक कोर्स पूरा कर लिया है	औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए 50000 बच्चों को मुख्यधारा में लाना		1.2. बाल श्रम से हटाए गए बच्चों की संख्या।	औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए 50000 बच्चों को मुख्यधारा में लाना
		1.3. परिचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या।	पिछले आंकड़ों और सर्वेक्षण के आधार पर 100 नए एसटीसी संचालित हैं।			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
			एसटीसी का उद्घाटन एनसीएलपी योजना के तहत जिला परियोजना समितियों द्वारा संचालित किए गए पिछले सर्वेक्षण पर निर्भर करता है।			
		1.4. क्लेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनाई गई परियोजना सोसाइटियों की संख्या	एनसीएलपी सोसाइटियां राज्य सरकारों द्वारा सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अंतर्गत जिले में मौजूद बाल श्रम के आधार पर बनाई जाती हैं। सर्वेक्षण रिपोर्टों को केन्द्र सरकार के पास भेजा जाता है और एसटीसी खोले जाते हैं।			
		1.5. उन बच्चों की संख्या जिनकों मुख्य धारा शिक्षा में नामांकित किया गया है और	औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 50000 बच्चे मुख्य धारा में हैं।			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
		6 माह के बाद भी निरंतर शिक्षा ले रहे हैं				
	2. देश में बाल श्रम के निगरानी करना और पता लगाना	2.1. बाल श्रम निगरानी, पता लगाना और रिपोटिंग प्रणाली का सृजन (हां/नहीं)	हां	2. खतरनाक व्यवसायों/ प्रक्रियाओं से सभी किशोर कामगारों को हटाना तथा उपयुक्त व्यवसायों में उनको कौशल प्रदान करना और जोड़ना	2.1. खतरनाक व्यवसायों/ प्रक्रियाओं से हटाए गए किशोर श्रमिकों की संख्या	14000*
		2.2. उन जिलों की संख्या, जिनमें खतरनाक व्यवसायों और अखतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों/किशोरों की संख्या के	बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अध्यादेश के अंतर्गत पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से कानून द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली		2.2. जगारपरक/कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रविष्ट किशोर श्रमिकों की संख्या	यह डेटा राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखा जाता है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
		संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया।	समाप्त कर दी गई है। जिसके स्थान पर बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लाया गया है। जब कभी भी बंधुआ श्रम का पता चलता है तो पुनर्वास के लिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। पुनर्वास के लिए पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।			यह आंकड़ा राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।
	3. बंधुआ श्रमिकों को छोड़ना और सहायता	3.1. उन जिलों की संख्या, जिनमें खतरनाक व्यवसायों और अखतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों/किशोरों की संख्या के	बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अध्यादेश के अंतर्गत पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से कानून द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली समाप्त कर दी गई है।	3. बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करना	3.1 छोड़े गए पुनर्वासित श्रमिकों की संख्या (राज्य द्वारा किए गए दावों के आधार पर)	छोड़े गए बंधुआ श्रमिकों को वित्तीय सहायता देना।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	उत्पाद	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20	परिणाम	संकेतक(कों)	लक्ष्य 2019-20
	का प्रावधान	संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया।	जिसके स्थान पर बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लाया गया है। जब कभी भी बंधुआ श्रम का पता चलता है तो पुनर्वास के लिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। पुनर्वास के लिए पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।			
		3.2. 2018-19 के दौरान बंधुआ श्रमिक पुनर्वास (बच्चे, महिलाएं, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और पुरुष) के अंतर्गत प्रारंभिक पुनर्वास के लिए छोड़े जाने	2182#			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2019-20**
		पर दी गई नकद राशि के लाभार्थियों की संख्या				
		3.3. उन मामलों की संख्या जहां पर निर्णय दिया गया है (वर्ष के अंत में कुल लंबित मामलों में से)[7]	लक्ष्य नहीं दिया गया है			
		3.4. कुल लंबित मामलों में से दी गई दोषसिद्धियों की संख्या (वर्ष के अंत में कुल लंबित मामलों में से)[8]	लक्ष्य नहीं दिया गया है			

** ये आंकडे एनसीएलपी सोसाइटियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हैं*

 # यह मांग संचालित स्कीम है, दिए गए लक्ष्य अनुमानित हैं।

[7] *राज्य सरकार से प्राप्त होने पर जानकारी प्रदान की जाएगी*

[8] *राज्य सरकार से प्राप्त होने पर जानकारी प्रदान की जाएगी*

11. रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक**	**2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2019-20**
4583.79	**क. अजा/अजजा के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) केन्द्र (पूर्व में अजा,अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन)**					
	1. जॉब ढूंढने वाले अजा/अजजा की रोजगारपरकता में वृद्धि	1.1. उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें रोजगारपरक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएं दी गई है।	140000	1.जॉब ढूंढने वाले अजा/अजजा अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि	1.1. अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी रोजगारपरकता में वृद्धि हुई।	1000
		1.2. जॉब ढूंढने वाले उन अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें टाइपिंग और शार्टहैंड का प्रशिक्षण दिया गया है।	11000			
		1.3. अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें विशेष कोचिंग योजना के अंतर्गत	1300			

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक**	**2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2019-20**
		भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।				
		1.4. अजा/अजजा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया	1050			
	ख. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (पूर्व में रोजगार वृद्धि योजना)					
	1. वीआरसी के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं	1.1 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें पुनर्वास सेवा के लिए परामर्श दिया गया।	3,2000	1. दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास	1.1 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या जिनका आर्थिक रूप से पुनर्वास किया गया।	11,500
		1.2 उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मूल्यांकित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या	31,000			
	ग. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना					

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक**	**2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2019-20**
	1. प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों और सहायक वित्तीय प्रक्रमणों को पहचान देना	1.1 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 थी। 31/03/2019 के आगे स्कीम के विस्तार के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद ही लक्ष्य दिया जा सकता है।	1. रोजगार सृजन और नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए नियोजकों को प्रोत्साहन देना।	1.1 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	
		1.2 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या				
		1.3 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या				

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	उत्पाद 2019-20			परिणाम 2019-20		
2019-20	**उत्पाद**	**संकेतक**	**2019-20**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2019-20**
	घ. राष्ट्रीय कैरियर सेवा					
	1. नियोजकों और नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के लिए डिजिटल मंच उपलब्ध कराना।	1.1 पंजीकृत नौकरी के इच्छुकों की संख्या	30 लाख	1. राष्ट्रीय कैरियर सेवा: राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना देती है जो नौकरी को इच्छुकों और नियोजकों को गतिशील, कुशल और प्रतिक्रियात्मक रूप में नौकरी के मिलान के लिए नौकरी के इच्छुकों और नियोजकों के लिए राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।	1.1. जुटाई गईं नौकरियों की संख्या	12 लाख
		1.2 पंजीकृत नियोजकों की संख्या	2000			
		1.3 जुटाई गईं रिक्तियों की संख्या	12 लाख			
		1.4 वेबसाइट पर विशिष्ट हिटों की संख्या	2.00 करोड़			
		1.5 आयोजित किए गए नौकरी मेलों की संख्या	1,000			